निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 104 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय मुख्य अभियन्ता, स्तर-2, सिंचाई विभाग, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, स्तर-2, सिंचाई विभाग, देहरादून के माह 08/2017 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अनिल कुमार शर्मा, श्री राजेश डोभाल, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, एवं श्री नन्दन सिंह भण्डारी, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 18/01/2018 से 22/01/2018 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इकाई की पूर्व लेखा परीक्षा सर्व पी. के. श्रीवास्तव, श्री सुनील कुमार ,सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, द्वारा दिनांक 23/8/2017 से 28/08/2017 तक श्री जगमोहन सिंह रावत वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया। उक्त लेखा परीक्षा में माह 06/2015 से माह 07/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखा परीक्षा की गई थी

2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः कार्यालय मुख्य अभियन्ता, स्तर-2, सिंचाई विभाग, देहरादून के अंतर्गत जिला देहरादून एवं जिला उत्तरकाशी के अंतर्गत आने वाले ब्लॉक एवं विधानसभा क्षेत्रो के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रो के किसानो को सिंचाई एवं जल की सुविधा उपलब्ध कराना।
3. (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष			स्थापना		गैर स्थापना	
	मु.शीर्ष	स्थापना लाख	गैर स्थापना लाख	आवंटन लाख में	व्यय लाख में	आवंटन लाख में	व्यय लाख में
2016-17		-				128.73	125.75
2017-18						149.87	138.41
2018-19						183.48	176.80

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2015-16		शून्य			
2016-17					
2017-18(10/2017)					

4. इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "C" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1.प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून

2.मुख्य अभियन्ता, स्तर-2, सिंचाई विभाग, देहरादून

5. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय मुख्य अभियन्ता, स्तर-2, सिंचाई विभाग, देहरादून** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय मुख्य अभियन्ता, स्तर-2, सिंचाई विभाग, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/2017 को विस्तृत जांच हेतु एवं चयनित किया गया।

6. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2(ब)

प्रस्तर:1- उत्तराखंड शासनादेश का अनुपालन नही किया जाना।

लेखा परीक्षा के अनिस्तारित प्रस्तरों के निस्तारण मे गति प्रदान करने के उद्देश्य से शासन द्वारा अपने शासनादेश संख्या-164/xxvii(26)/2017 दिनांक-08 अगस्त 2017 को सभी विभागों को लेखा परीक्षा समितियों के गठन हेतु पत्र जारी किया गया था एवं गठित कमेटी मे प्रस्तरों के निस्तारण हेतु जानकारी प्रेषित करने हेतु प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा अपने पत्र संख्या-406/xxvii(38)/2017 दिनांक-10.01.2018 को लेखा परीक्षा के प्रस्तरों के त्वरित निस्तारण हेतु कार्यालय महालेखाकर (लेखा परीक्षा) के साथ शासनादेश संख्या-159/xxvii(20)/2016 दिनांक-07 अक्तूबर 2016 के प्रावधानों के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर आडिट कमेटी आहूत किए जाने का निर्देश निर्गत किया गया था। उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सिंचाई विभाग मे 418 प्रस्तर अनिस्तारित थे।

उक्त के संबंध मे पूछे जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि सिंचाई विभाग मे अभी तक कमेटी का गठन नही किया गया हैं। गठन की कार्यवाही की जा रही हैं।

अत: विभाग द्वारा उत्तराखंड शासन के आदेश का अनुपालन नही किए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग-2(ब)

प्रस्तर:2- विभाग की 39 नहरों का विगत 02 से 12 वर्षों से बंद रहना।

मुख्य अभियंता के अधिकार क्षेत्र मे आने वाले सिंचाई मंडलों/खंडों के अंतर्गत 39 नहरें जिनका सींच क्षेत्र 1365 CCA था विगत 02 से 12 वर्षों के उपरांत भी बंद हैं विभाग द्वारा उक्त नहरों का परित्याग भी नही किया गया हैं।

उक्त के संबंध मे संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि अस्थाई संसाधनों से बंद नहरों को चलाने के प्रयास किये जाते हैं। जैसे वार्षिक रखरखाव मद मे धनावटन प्राप्त होने एवं अन्य विभाग से धनराशि प्राप्त होने पर नहरों की मरम्मत कर चलाई जाती हैं। बंद नहरों के मरम्मत हेतु लोक निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0 से पत्राचार कर धन की मांग कि जा रही हैं।

अत: विभाग की 39 नहरों का विगत 02 से 12 वर्षों से बंद रहने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग–दो 'अ'	भाग–दो 'ब'
1	03//2001-02	1	1
2	31/2014-15	-	1
3	29/2017-18	-	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

अनिस्तारित प्रस्तर की अद्यतन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई है।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 सिंचाई विभाग देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित मुख्य अभियन्ताओ द्वारा कार्यालय का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री विनोद कुमार पंत	मुख्य अभियन्ता	(15/7/2017 से31/3/2018)
2.	श्री पूरनचंद गौड़	मुख्य अभियन्ता	(1/4/2018 से 5/5/2018)
3.	श्री मुकेश मोहन	मुख्य अभियन्ता	(6/5/2018 से वर्तमान तक)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय मुख्य अभियन्ता, स्तर-2, सिंचाई विभाग, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड,कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये ।

वरिष्ठ लेखपरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र - 2